न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 165 / 2022 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. तारा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम 2. दला पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम 3. भैरा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम 4. माला पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम जाति कोली निवासी सांवलासी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. नाथा पुत्र गुमना 2. भूरा पुत्र गुमना 3. नानजी पुत्र गुमना 4. करतुरा पुत्र खीया का.मु. 4/1नवीनाराम पुत्र करतुरा 4/2भारथाराम पुत्र करतुरा 5. करतुरा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम फौत के का.मु. 5/1नरसीराम पुत्र करतुरा 5/2हरचन्द पुत्र करतुरा 5/3शंकराराम पुत्र करतुरा 5/4रमेश पुत्र करतुरा 5/5कुंम्पाराम पुत्र करतुरा 5/6नारणाराम पुत्र करतुरा 5/7प्रतापराम पुत्र करतुरा 5/8मीरोंदेवी पत्नी करतुरा जाति कोली निवासी सांवलासी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे सेड़वा 7. तहसीलदार/उपपंजीयक, सेड़वा 8. काकू पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी कारटिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 193/2018 बअनवान दला वगैरा बनाम नाथा वगैरा आदेश दिनांक 27.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ठाकराराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हसन खां रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांवलासी पटवार क्षेत्र तरला तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 84 रकबा 18.18 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 170/6 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 181/02 रकबा 28.02 बीघा भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय आवेदन पेश कर निवदेन किया अपीलाधीन आराजी अपीलांटस/वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि के विवाद को लेकर पेश किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौके एवं रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली दिनांक 11.07.2018 को विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी रियासत काल में पक्षकारान के पूर्वज स्व. जवा ने अर्जित की जो विरासत में उसके दोनों पुत्रों खीमा व पनीया को प्राप्त हुई, दोनों भाई उक्त पैतृक जोत पर बहिस्सा बराबर काबिज हुए। बाड़मेर जिले का भू प्रबंध लगभग संवत 2008–09 में प्रारम्भ होकर संवत 2012–13 तक चला। मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 103 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 104 रकबा 50.18 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 02.13 बीघा कुल रकबा 53.16 बीघा कृषि भूमि की पैमाईश विप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 के दादा स्व खीमा ने कराई जिसमें स्व. खीमा ने प्रार्थीगण के पिता को धोखे में रखकर सिर्फ अपने अकेले के नाम से खातेदारी दर्ज करवाई जबकि पैमाईश करते वक्त स्व. खीमा को चाहिये था कि वह इन दोनों खातों में स्वयं व प्रार्थीगण के वालिद पनीया का हिस्सा 1/2 दर्ज कराता परन्तु उसने ऐसा न कर मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 84 रकबा 18.18 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 0.03 बीघा खसरा संख्या 170/6 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 181/102 रकबा 28.02 बीघा अपना व प्रार्थीगण के पिता पनीया का नाम व मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 103 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 50.18 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 02.13 बीघा अपना अकेले का नाम दर्ज करवा दिया व इस प्रकार स्व. खीमा ने अपने पक्ष में अधिक भूमि दर्ज करवा दी जिसका ज्ञान प्रार्थीगण के पूर्वज जो पूर्णतः अशिक्षित तथा वृद्ध तथा थे को नहीं हुआ प्रार्थीगण मौजुदा समय में दोनों खेतों के संयुक्त रकबा के हिस्सा 1/2 पर काबीज है जो वक्त बंदोबस्त से चला आ रहा है। यह दोनों खेत प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के सामलाती है। भू प्रबंध विभाग ने इसे पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर रहवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ढाणियां, पशुवाडा आदि बने हुए है परन्तु वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को यह भी धमकियां कदे रहा है कि यदि वह प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने से कामयाब नहीं हुए तो वह प्रार्थीगण की उक्त भूमि का बेचान अन्य किसी सरजोर व्यक्तियों को कर देंगे विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदातागण रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस की स्वअर्जित संपति है। अपीलाधीन आराजी पर हम रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के कब्जो काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेडवा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 193/2018 बअनवान दला वगै बनाम नाथा वगै. में मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में पारित अंतरिम स्थग आदेश दिनांक 02.11.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा बिलोनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर